राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांकः– F(20)CCE/Policy/PI/2020/359 दिनांकः– 13.8.21

समस्त नोडल प्राचार्य (निजी संस्था)
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– निजी संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण कर **दिनांक 20.08.21 तक** पत्रावली प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2021–22 हेतु निजी संस्थाओ द्वारा विभिन्न प्रकरणो हेतु NOC पोर्टल पर आवेदन किया गया है । इस हेतु NOC पोर्टल दो बार खोला गया था। प्रथम बार इस आवेदन हेतु अंतिम तिथि 31.03.2021 थी तथा द्वितीय बार NOC पोर्टल दिनांक 5.07.2021 से 19.07.2021 तक खोला गया था। उक्त दोनो अवधियो में ऐसे आवेदन जिनमें संस्थाओं ने किसी प्रकरण यथा नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय, नवीन संकाय, स्थान परिर्वतन, सहशिक्षा से कन्या परिवर्तन, कन्या से सहशिक्षा मे परिवर्तन, अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि, स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जिसमें सत्र 2021–22 हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है, से सम्बन्धित संस्थाओ का **अविलम्ब निरीक्षण कर दिनांक 20.08.2021 तक निरीक्षण पत्रावलिया प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

साथ ही आयुक्तालय द्वारा उक्त प्रकरणो के सबंध में संस्थाओ को कमीपूर्ति पत्र भी जारी किये जा रहे है तथा इन संस्थाओ को जारी कमीपूर्ति पत्र में सम्बन्धित नोडल अधिकारी के रूप मे संस्थाओ द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे समस्त दस्तावेजो को जांच एवं सत्यापित कर **संलग्न प्रारूप** में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

यदि किसी संस्था ने किसी प्रकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है और वह संस्था किसी भी कारण से निरीक्षण नही करवा रही है तो उस संस्था को **तीन दिन** का समय देते हुए अन्तिम स्मरण पत्र जारी कर निरीक्षण पत्रावली उक्त दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

**संलग्नः– प्रारूप**

अo अo

संयुक्त निदेशक(नि.स)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपिः–

1. **सचिव, निजी संस्थाओ को भेजकर लेख है कि निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 अनुसार निरीक्षण हेतु निर्धारित समयावधि पूर्ण हो चुकी है उक्त तिथि से पूर्व सम्बन्धित नोडल अधिकारी से निरीक्षण नही करवा सकने से उपस्थित किसी भी प्रकार की समस्या की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी और विभाग द्वारा आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।**
2. वेब प्रभारी को आकाशि वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अo अo

संयुक्त निदेशक(नि.स)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का प्रारूप

**कमीपूर्ति दस्तावेजों का विवरण :**

| क्रम संख्या | विभाग द्वारा प्रेषित कमीपूर्ति बिंदु | संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | निरीक्षण दल की स्पष्ट टिप्पणी / (यदि प्रमाणन नहीं किया गया है तो स्पष्ट कारण ) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

**निरीक्षण दल का विवरण :**

| क्रम संख्या | नाम व पद नाम | मोबाइल नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |